

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

अंग्रेजी माध्यम

पत्रांक- २७७२-२६

/२०१३-१४

दिनांक- १-७-२०१३

सेवा में,

प्रबन्धक,

सेन्ट जेवियर्स पब्लिक स्कूल रामपुर जहानांग,

आजमगढ़।

विषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००६ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २०१० के नियम १५ के उपनियम (४) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं, सेन्ट जेवियर्स पब्लिक स्कूल रामपुर जहानांग, आजमगढ़ को दिनांक-०१ जुलाई, २०१२ से दिनांक-३० जून, २०१५ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एल०केजी० से कक्षा ०८ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- १- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बायता विवक्षित नहीं है।
- २- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-२००६ (उपबन्ध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, २०१० (उपबन्ध २) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- ३- विद्यालय कक्षा ९ में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- ४- पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पूर्थक बैंक खाता रखेगा।
- ५- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- ६- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक रूप या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३ (१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंतायें नहीं हैं, पौंच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंतायें अर्जित करेगे।
- अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- अध्यापक रवयं को किसी निर्जी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

७- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चाओं के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Principal
St. Xavier's Public School
Rampur Jahanaganj, Azamgarh

क्रमशः-----२/-
Manager
St. Xavier's Public School
Rampur Jahanaganj, Azamgarh

(२)

विद्यालय अधिनियम की धारा १६ में पर्यावरणीय विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का भेत्रफल-

कुल निर्वित क्षेत्र

क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पूर्थक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे-मीन पकाजे के लिए रसोईघरा

बाधारक्षित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्तों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई और मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९६० (१९६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रदृष्टि किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक व्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अंकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक (वर्ष-२०१३/१२) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उत्तेजव करें।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत हो।

अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त:-

भवदीय,

G.A

(सोमारु प्रधान)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,

CCE आजमगढ़।

पृ०१०/

/२०१३-१४

तदूदिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- सचिव, उत्तर प्रदेश, वैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

२- सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।

३- जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़।

४- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

(सोमारु प्रधान)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,

आजमगढ़।

Auf
Principal
St. Xavier's Public School
Ranipur Jahanaganj, Azamgarh

Zamour
Manager
St. Xavier's Public School
Ranipur Jahanaganj, Azamgarh